संख्या-6/2017/क0नि0-4-1151/11-2017-400(83)/2000

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर, 2017**

विषयः- तेलियागंज, मिर्जापुर स्थित वाणिज्य कर कार्यालय, भवन के किराया अनुबन्ध परिवर्तन एवं किराया भुगतान/किराया नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/किराया अनु0/भ0प0- मिर्जापुर-233/2017-18/271/वाणिज्य कर, दिनांक 20.09.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वाणिज्य कर कार्यालय, मिर्जापुर के भवन का किराया अनुबन्ध श्री त्रिलोकी नाथ साहू पुत्र स्व0 श्री केदारनाथ साहू के मध्य सम्पादित करने एवं भवन के किराये का भुगतान निम्न तालिका के अनुसार किए जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	प्रभावी दिनांक से	देय किराया प्रतिमाह रू0 में
1	24.11.1999 से 31.08.2010	9,967.00
2	01.09.2010 से 31.08.2015	12,459.00
3	दिनांक 01.09.2015 से आगामी 05 वर्ष अथवा भवन रिक्त होने तक, जो भी पहले हो।	12,459.00

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वाणिज्य कर विभाग के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अंतर्गत मद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

4- उक्त किराया अनुबन्ध विलेख विभाग के सक्षम प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य, निर्धारित प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-6/2017/क0नि0-4-1151(1)/11-2017, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
3. मुख्य कोषाधिकारी, मिर्जापुर।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
5. श्री त्रिलोकी नाथ साहू पुत्र स्व0 श्री केदारनाथ साहू, वाणिज्य कर कार्यालय भवन, तेलियागंज, मिर्जापुर ।
6. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।